अध्याय XV

लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में अनुरक्षित खातों और अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रस्तुत करती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से यथोचित और यथासमय प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।

लोकसभा सचिवालय ने (जुलाई 1985) सभी मंत्रालयों को टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (विधिवत रूप से जांच किए गए) जो सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए जैसा कि संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई है। इस प्रकार की टिप्पणियों को पैराग्राफों /मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था जो विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चयनित नहीं किए गए थे। कोपू ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में (1998-99 बारहवी लोक सभा), उपरोक्त निर्देशों/सिफारिशों को दोहराया गया:

- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) पर लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत करने की मॉनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना;

- विभिन्न मंत्रालयों के तहत पीएसयूज से संबंधित पैराग्राफों को सम्मिलित करते हुए रिपोर्टों के संबंध में एटीएन प्रस्तुत करने की मॉनीटरिंग करने के लिए सार्वजनिक उद्यम निगम विभाग (डीपीई) में एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा

- संसद में प्रस्तुत सीएजी की सभी रिपोर्टों के संबंध में विधिवत जांच की गई एटीएन पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रासंगिक लेखापरीक्षा रिपोटों प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत करना,

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय कोपू ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (1999-2000-तेरहवीं लोक सभा) में अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई प्रत्येक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वाणिज्यिक) में निहित टिप्पणियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई को

मॉनीटर करने के लिए स्वयं डीपीई को एक पृथक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। तदनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ काम कर रहा है। सीएजी की विभिन्न रिपोर्टों (वाणिज्यिक) पर एटीएन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों में मॉनिटरिंग प्रकोष्ट भी स्थापित किया गया है।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू से संबंधित पिछले पाँच वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में निहित 55 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/समीक्षाओं पर उपचारात्मक/पुनरीक्षित एटीएन जैसा विस्तृत रूप से **परिशिष्ट-III** में दिये गए है, लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए प्राप्त नहीं हुए थे।

नई दिल्ली
दिनांक : 13 अप्रैल 2018

(अश्विनी अत्री)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 13 अप्रैल 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक